प्रेषक,

रवि शंकर गुप्ता,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास उ0प्र0,
लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 07 जनवरी,2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में उ0प्र0राज्य दुग्ध परिषद को वित्तीय सहायता योजनान्तर्गत तृतीय किश्त का भुगतान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-454/दुग्ध-4/नियोजन/उ0प्र0रा0दु0परि0वि0सहा0/2020-21, दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0राज्य दुग्ध परिषद को वित्तीय सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में शासनादेश संख्या-8/2020/690/53-2-2020-44(बजट)/18 दिनांक 14अगस्त,2020 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रू0 37.27लाख तथा शासनादेश संख्या-8/2020/929/53-2-2020-44(बजट)/18 दिनांक 13नवम्बर,2020 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 40.96लाख अवमुक्त की गयी है। इस प्रकार प्राविधानित धनराशि रू0 163.84लाख के सापेक्ष रू0 78.23 लाख की धनराशि अवमुक्त है। प्राविधानित धनराशि रू0 163.84लाख की अवशेष धनराशि रू0 85.61लाख के सापेक्ष रू0 37.28 लाख तृतीय किश्त के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:-

(1) धनराशि को आहरित कर किसी बैंक /डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि जिस प्रयोजन/जिन कार्यो हेतु अवमुक्त की जा रही है, उसी मद/प्रयोजन में ही इसका व्यय अनुमन्य होगा। धनराशि का निर्धारित मद से इतर मद में प्रयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।
(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि को निर्धारित मद में व्यय कराने व उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने का दायित्व दुग्ध आयुक्त,दुग्धशाला विकास,उ0प्र0 का होगा।
(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/ 2020/बी-1-149/ दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं तत्सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 07 अप्रैल, 2020, दिनांक 11 अप्रैल, 2020 एवं दिनांक 18 मई, 2020 व अन्य संगत शासनादेशों में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-16 अन्तर्गत लेखाशीर्षक '2404-डेरी विकास-102डेरी विकास परियोजनायें-10-उ0प्र0राज्य दुग्ध परिषद को वित्तीय सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-1- 11/दस-2021, दिनांक 06 जनवरी, 2021 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रवि शंकर गुप्ता)
विशेष सचिव।

.....2/-

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-03/2021 /1179(1)/53-2-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम), उ0प्र0, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
2. सचिव, उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय परियोजना, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2, वित्त(व्यय-नियन्त्रण)अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3,उ0प्र0 शासन।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

प्रेषक,

रवि शंकर गुप्ता,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास उ0प्र0,
लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 07 जनवरी,2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में उ0प्र0राज्य दुग्ध परिषद को वित्तीय सहायता योजनान्तर्गत तृतीय किश्त का भुगतान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-454/दुग्ध-4/नियोजन/उ0प्र0रा0दु0परि0वि0सहा0/2020-21, दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0राज्य दुग्ध परिषद को वित्तीय सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में शासनादेश संख्या-8/2020/690/53-2-2020-44(बजट)/18 दिनांक 14अगस्त,2020 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रू0 37.27लाख तथा शासनादेश संख्या-8/2020/929/53-2-2020-44(बजट)/18 दिनांक 13नवम्बर,2020 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 40.96लाख अवमुक्त की गयी है। इस प्रकार प्राविधानित धनराशि रू0 163.84लाख के सापेक्ष रू0 78.23 लाख की धनराशि अवमुक्त है। प्राविधानित धनराशि रू0 163.84लाख की अवशेष धनराशि रू0 85.61लाख के सापेक्ष रू0 37.28 लाख तृतीय किश्त के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:-

(1) धनराशि को आहरित कर किसी बैंक /डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि जिस प्रयोजन/जिन कार्यो हेतु अवमुक्त की जा रही है, उसी मद/प्रयोजन में ही इसका व्यय अनुमन्य होगा। धनराशि का निर्धारित मद से इतर मद में प्रयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।
(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि को निर्धारित मद में व्यय कराने व उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने का दायित्व दुग्ध आयुक्त,दुग्धशाला विकास,उ0प्र0 का होगा।
(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/ 2020/बी-1-149/ दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं तत्सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 07 अप्रैल, 2020, दिनांक 11 अप्रैल, 2020 एवं दिनांक 18 मई, 2020 व अन्य संगत शासनादेशों में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-16 अन्तर्गत लेखाशीर्षक '2404-डेरी विकास-102डेरी विकास परियोजनायें-10-उ0प्र0राज्य दुग्ध परिषद को वित्तीय सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-1- 11/दस-2021, दिनांक 06 जनवरी, 2021 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रवि शंकर गुप्ता)
विशेष सचिव।

.....2/-

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-03/2021 /1179(1)/53-2-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम), उ0प्र0, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
2. सचिव, उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय परियोजना, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2, वित्त(व्यय-नियन्त्रण)अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3,उ0प्र0 शासन।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

प्रेषक,

रवि शंकर गुप्ता,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास उ0प्र0,
लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 07 जनवरी,2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में उ0प्र0राज्य दुग्ध परिषद को वित्तीय सहायता योजनान्तर्गत तृतीय किश्त का भुगतान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-454/दुग्ध-4/नियोजन/उ0प्र0रा0दु0परि0वि0सहा0/2020-21, दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0राज्य दुग्ध परिषद को वित्तीय सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में शासनादेश संख्या-8/2020/690/53-2-2020-44(बजट)/18 दिनांक 14अगस्त,2020 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रू0 37.27लाख तथा शासनादेश संख्या-8/2020/929/53-2-2020-44(बजट)/18 दिनांक 13नवम्बर,2020 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 40.96लाख अवमुक्त की गयी है। इस प्रकार प्राविधानित धनराशि रू0 163.84लाख के सापेक्ष रू0 78.23 लाख की धनराशि अवमुक्त है। प्राविधानित धनराशि रू0 163.84लाख की अवशेष धनराशि रू0 85.61लाख के सापेक्ष रू0 37.28 लाख तृतीय किश्त के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:-

(1) धनराशि को आहरित कर किसी बैंक /डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि जिस प्रयोजन/जिन कार्यो हेतु अवमुक्त की जा रही है, उसी मद/प्रयोजन में ही इसका व्यय अनुमन्य होगा। धनराशि का निर्धारित मद से इतर मद में प्रयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।
(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि को निर्धारित मद में व्यय कराने व उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने का दायित्व दुग्ध आयुक्त,दुग्धशाला विकास,उ0प्र0 का होगा।
(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/ 2020/बी-1-149/ दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं तत्सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 07 अप्रैल, 2020, दिनांक 11 अप्रैल, 2020 एवं दिनांक 18 मई, 2020 व अन्य संगत शासनादेशों में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-16 अन्तर्गत लेखाशीर्षक '2404-डेरी विकास-102डेरी विकास परियोजनायें-10-उ0प्र0राज्य दुग्ध परिषद को वित्तीय सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-1- 11/दस-2021, दिनांक 06 जनवरी, 2021 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रवि शंकर गुप्ता)
विशेष सचिव।

.....2/-

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-03/2021 /1179(1)/53-2-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम), उ0प्र0, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
2. सचिव, उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय परियोजना, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2, वित्त(व्यय-नियन्त्रण)अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3,उ0प्र0 शासन।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

प्रेषक,

रवि शंकर गुप्ता,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास उ0प्र0,
लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 07 जनवरी,2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में उ0प्र0राज्य दुग्ध परिषद को वित्तीय सहायता योजनान्तर्गत तृतीय किश्त का भुगतान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-454/दुग्ध-4/नियोजन/उ0प्र0रा0दु0परि0वि0सहा0/2020-21, दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0राज्य दुग्ध परिषद को वित्तीय सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में शासनादेश संख्या-8/2020/690/53-2-2020-44(बजट)/18 दिनांक 14अगस्त,2020 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रू0 37.27लाख तथा शासनादेश संख्या-8/2020/929/53-2-2020-44(बजट)/18 दिनांक 13नवम्बर,2020 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 40.96लाख अवमुक्त की गयी है। इस प्रकार प्राविधानित धनराशि रू0 163.84लाख के सापेक्ष रू0 78.23 लाख की धनराशि अवमुक्त है। प्राविधानित धनराशि रू0 163.84लाख की अवशेष धनराशि रू0 85.61लाख के सापेक्ष रू0 37.28 लाख तृतीय किश्त के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:-

(1) धनराशि को आहरित कर किसी बैंक /डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि जिस प्रयोजन/जिन कार्यो हेतु अवमुक्त की जा रही है, उसी मद/प्रयोजन में ही इसका व्यय अनुमन्य होगा। धनराशि का निर्धारित मद से इतर मद में प्रयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।
(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि को निर्धारित मद में व्यय कराने व उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने का दायित्व दुग्ध आयुक्त,दुग्धशाला विकास,उ0प्र0 का होगा।
(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/ 2020/बी-1-149/ दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं तत्सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 07 अप्रैल, 2020, दिनांक 11 अप्रैल, 2020 एवं दिनांक 18 मई, 2020 व अन्य संगत शासनादेशों में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-16 अन्तर्गत लेखाशीर्षक '2404-डेरी विकास-102डेरी विकास परियोजनायें-10-उ0प्र0राज्य दुग्ध परिषद को वित्तीय सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-1- 11/दस-2021, दिनांक 06 जनवरी, 2021 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रवि शंकर गुप्ता)
विशेष सचिव।

.....2/-

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-03/2021 /1179(1)/53-2-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम), उ0प्र0, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
2. सचिव, उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय परियोजना, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2, वित्त(व्यय-नियन्त्रण)अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3,उ0प्र0 शासन।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**